



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 196]

नई दिल्ली, बुधवार, मई 2, 2012/वैशाख 12, 1934

No. 196]

NEW DELHI, WEDNESDAY, MAY 2, 2012/VAISAKHA 12, 1934

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

(औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 2 मई, 2012

सा.का.नि. 333(अ).—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अधीन महानियंत्रक पेटेंट, डिजाइन और व्यापार चिह्न कार्यालय में व्यापार चिह्न और भौगोलिक उपदर्शन रजिस्ट्री के कार्यालय में जन सम्पर्क अधिकारी और सहायक पुस्तकालय और सूचना अधिकारी के पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती हैं, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ.—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम व्यापार चिह्न और भौगोलिक उपदर्शन रजिस्ट्री (समूह 'ख' पद) भर्ती नियम, 2012 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. लागू होना :— ये नियम इससे उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ (1) में विनिर्दिष्ट पद को लागू होंगे।

3. पद संख्या, वर्गीकरण और वेतन बैंड तथा ग्रेड वेतन या वेतनमान.—पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण तथा उनके वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान वे होंगे, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, और अन्य अर्हताएं, आदि.—भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उनसे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो पूर्वोक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

5. निरर्हता.—वह व्यक्ति,—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

6. शिथिल करने की शक्ति.—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

7. व्यावृत्ति.—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची.

पद का नाम	पद संख्या	वर्गीकरण	वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान	चयन अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
जन सम्पर्क अधिकारी	02* (2012) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ख', राजपत्रित, अननुसूचितीय	वेतन बैंड- 2; 9300 - 34800 रु. + ग्रेड वेतन 4600 रु.	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं।	परिचीक्षा की अवधि, यदि कोई हो।	भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता
(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	प्रतिनियुक्ति

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियाँ जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा।	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(11)	(12)	(13)
<p>प्रतिनियुक्ति - केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकारों या संघ राज्यक्षेत्रों के प्रशासन के अधीन ऐसे अधिकारी :- (क) (i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पदधारण किए हुए हैं, या (ii) जिन्होंने मूल काडर/विभाग में वेतन बैंड-2 में वेतनमान 9300-34800 रु. + ग्रेड वेतन 4200 रु. या समतुल्य पदों पर उस श्रेणी में नियमित आधार पर पांच वर्ष सेवा की है ; या (ख) जिनके पास स्तंभ (7) में सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव है, अर्थात्</p> <p>आवश्यक (i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से बैचलर डिग्री ; (ii) किसी सरकारी विभाग या सरकारी उपक्रम में जन सम्पर्क कार्य संचालन का दो वर्ष अनुभव।</p> <p>वांछनीय :- (i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्था से पत्रकारिता और जन संपर्क में डिप्लोमा ; और (ii) सचिवीय प्रशिक्षण और प्रबंधन संस्थान या केन्द्रीय या राज्य सरकार के किसी सेवा प्रशिक्षण संस्थान से कम्प्यूटर प्रशिक्षण प्राप्त हो।</p> <p>टिप्पण I : प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p> <p>टिप्पण II : प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्त के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा 1.1.2006 से पहले (उस तारीख से जिससे छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है) नियमित</p>	<p>लागू नहीं होता</p>	<p>प्रत्येक अवसर पर संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है।</p>

आधार पर की गई सेवा को, सिवाय उस दशा के जहां एक से अधिक पूर्व पुनरीक्षित वेतन या वेतनमान सहित एक श्रेणी में विलय हो गया है और वहां यह लाभ केवल उस पद पर विस्तारित होगा जिसके लिए ग्रेड वेतन या वेतनमान बिना किसी उन्नयन का साधारण प्रतिस्थापन है, वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित ग्रेड वेतन या वेतनमान पर की गई सेवा समझी जाएगी।

पद का नाम	पद संख्या	वर्गीकरण	वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान	चयन अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
सहायक पुस्तकालय और सूचना अधिकारी	02 *	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ख', राजपत्रित, अनुसचिवीय	वेतन बैंड- 2; 9300-34800 रु. + ग्रेड वेतन 4600 रु.	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं।	परिबीक्षा की अवधि, यदि कोई हो।	भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता
(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	संयुक्त पद्धति (प्रतिनियुक्ति + प्रोन्नति)

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियाँ जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा।	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(11)	(12)	(13)
<p>संयुक्त पद्धति (प्रतिनियुक्ति + प्रोन्नति) :-</p> <p>केन्द्रीय सरकार/राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्रों के प्रशासन के अधीन ऐसे अधिकारी :-</p> <p>(क) (i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पदधारण किए हुए हैं, या</p> <p>(ii) जिन्होंने मूल काडर/विभाग में वेतन बैंड-2 में वेतनमान 9300-34800 रु. + ग्रेड वेतन 4200 रु. या समतुल्य पदों पर उस श्रेणी में नियमित आधार पर पांच वर्ष सेवा की है ; या</p> <p>(ख) जिनके पास स्तंभ (7) में सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए शैक्षिक अर्हताएं और विहित अनुभव है, अर्थात्</p> <p>आवश्यक :</p> <p>(i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से बैचलर डिग्री ;</p> <p>(ii) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से पुस्तकालय विज्ञान में बैचलर डिग्री ; और</p> <p>(iii) किसी सार्वजनिक या संस्थागत पुस्तकालय से दो वर्ष का वृत्तिक अनुभव या किसी मान्यप्राप्त संस्थान या विश्वविद्यालय से कम्प्यूटर अनुप्रयोग में डिप्लोमा।</p> <p>वांछनीय :</p> <p>(i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से मास्टर डिग्री।</p> <p>(ii) किसी सार्वजनिक या संस्थागत पुस्तकालय में प्रलंबीकरण कार्य का दो वर्ष का अनुभव।</p> <p>टिप्पण I : विभागीय सहायक पुस्तकालय और सूचना जिनकी वेतन बैंड-2 (9300 - 34800) + ग्रेड वेतन 4200 रु. में नियमित आधार पर उस श्रेणी में पांच वर्ष की सेवा है पर भी बाह्य अधिकारियों के साथ विचार किया जाएगा और यदि वह है पद पर नियुक्त के लिए चयनित होते हैं तो पद प्रोन्नति द्वारा भरा समझा जाएगा।</p>	<p>लागू नहीं होता</p>	<p>प्रत्येक अवसर पर संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है।</p>

टिप्पण II: पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्त पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।

टिप्पण III : प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

टिप्पण IV : प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्त के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा 1.1.2006 से पहले उस तारीख से जिससे छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है नियमित आधार पर की गई सेवा को, सिवाय उस दशा के जहां एक से अधिक पूर्व पुनरीक्षित वेतन या वेतनमान सहित एक श्रेणी में विलय हो गया है और वहां यह लाभ केवल उस पद पर विस्तारित होगा जिसके लिए ग्रेड वेतन या वेतनमान बिना किसी उन्नयन का साधारण प्रतिस्थापन है, वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित ग्रेड वेतन या वेतनमान पर की गई सेवा समझी जाएगी।

[फा. सं. 8/16/2005-आई.पी.आर.-I]

डी. वी. प्रसाद, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY
(Department of Industrial Policy and Promotion)
NOTIFICATION

New Delhi, the 2nd May, 2012

G.S.R. 333(E).— In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the posts of Public Relations Officer and Assistant Library and Information Officer in the Trade Marks and Geographical Indications Registry in the Office of the Controller General of Patents, Designs and Trade Marks, under the Ministry of Commerce and Industry, Department of Industrial Policy and Promotion, namely: -

1. **Short title and commencement.** - (1) These rules may be called the Trade Marks and Geographical Indications Registry (Group 'B' Post) Recruitment Rules, 2012.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
2. **Application.**- These rules shall apply to the post specified in Column(1) of the schedule annexed to these rules.
3. **Number of post, classification, pay band and grade pay or pay scale** – The number of posts, their classification and the pay band and grade pay or pay scale attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.
4. **Method of recruitment, age limit, qualifications, etc.** – The method of recruitment to the said posts, age limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.
5. **Disqualification.** – No person, -
 - (a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or
 - (b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,shall be eligible for appointment to the said posts :

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

6. **Power to relax.** – Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, in consultation with the Union Public Service Commission, for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect of any class or category of persons.
7. **Saving.** – Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, ex-Servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post.	Number of post.	Classification.	Pay band and grade pay or pay scale.	Whether selection post or non-selection post.	Age limit for direct recruits.	Educational and other qualifications required for direct recruits.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1. Public Relations Officer.	02* (2012) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service Group 'B' Gazetted, Non-Ministerial.	Pay band-2, Rs.9,300 -34,800 plus grade pay of Rs.4,600/-.	Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.

Whether age and educational qualification prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.	Period of probation, if any.	Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation or absorption and percentage of vacancies to be filled by various methods.
(8)	(9)	(10)
Not applicable.	Not applicable.	Deputation.

1590/12/2-Σ

In case of recruitment by promotion or deputation or absorption, grades from which promotion or deputation or absorption to be made.	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.
(11)	(12)	(13)
<p>Deputation Officers under the Central or State Governments or Union territories Administration :- (a)(i) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or department; or (ii)with five years service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in posts in pay band -2 (Rs.9300-34800/-) plus grade pay of Rs.4200/- or equivalent in the parent cadre or department; and (b) possessing the following educational qualifications and experience, namely:- Essential:- (i) a Bachelor's degree from a recognised University; (ii) Two years experience in handling public relations work in a Government Department or Government undertaking. Desirable:- (i) diploma in journalism or Mass Communication from a recognised University or Institute; and (ii) Undergone computer training in the Institute of Secretariat Training and Management or in any in-service training institution under the control of the Central or State Government.</p> <p>Note 1.- Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years. The maximum age limit for appointment by deputation shall not be exceeding fifty-six years as on the closing date of the receipt of applications Note 2.- For the purpose of appointment on deputation basis , the service rendered on regular basis by an officer prior to the 1st day of January, 2006 (date from which the revised pay structure based on the Sixth Central Pay Commission recommendation has been extended) shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendations of the said Pay Commission except where there has been merger of more than one pre-revised scale of pay into one grade with a common grade pay or pay scale , and where this benefit will extend only for the post for which that grade pay or pay scale is the normal replacement grade without any upgradation.</p>	<p>Not applicable.</p>	<p>Consultation with Union Public Service Commission necessary on each occasion.</p>

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2. Assistant Library and Information Officer.	02* (2012) *Subject variation dependent on workload.	to Central Service Group 'B' Gazetted, Ministerial.	PB-2, Rs. 9,300-34800/- plus grade pay of Rs.4,600/-.	Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.

(8)	(9)	(10)
Not applicable.	Not applicable.	Composite method (Deputation plus promotion).

(11)	(12)	(13)
<p>Composite Method (Deputation plus Promotion) : Officers of the Central or State Governments or Union territories Administration:- (a)(i) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or Department; or (ii) with five years service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in posts in pay band-2 (Rs.9300-34800/-) plus grade pay of Rs.4200/- or equivalent in the parent cadre or department; and (b) possessing the following educational qualifications and experience, namely:- Essential: (i) a Bachelor's degree from a recognised University; (ii) a Bachelor's degree in Library Science of a recognised University; and (iii) two years' professional experience in a public or institutional library or a diploma in computer applications from a recognised University or Institute. Desirable: (i) post graduate degree from a recognised University; (ii) two years experience of handling documentation work in a public or institutional library.</p> <p>Note 1.- The Departmental Library and Information Assistant in pay band-2 (Rs. 9300-34800/-) plus grade pay of Rs.4200/- with five years regular service in the grade will also be considered alongwith the outside officers and if he is selected for</p>	Not applicable	Consultation with the Union Public Service commission necessary on each occasion.

appointment to the post, the post shall be deemed to have been filled by promotion.

Note 2.- The Departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.

Note 3.- Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or Department of the Central Government shall ordinarily not to exceed three years. The maximum age limit for appointment by deputation shall not be exceeding fifty-six years as on the closing date of receipt of applications.

Note 4.-: For the purpose of appointment on deputation basis, the service rendered on a regular basis by an officer prior to the 1st day of January, 2006 the date from which the revised pay structure based on the Sixth Central Pay Commission recommendations has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendations of the said Pay Commission except where there has been merger of more than one pre-revised scale of pay into one grade with a common grade pay or pay scale, and where this benefit will extend only for the post for which that grade pay or pay scale is the normal replacement grade without any upgradation.

[F. No. 8/16/2005-IPR-I]

D. V. PRASAD, Jt. Secy.